

फर्द-अहकाम  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मिनाय जिला-अजमेर  
 प्रकरण संख्या-20/2022  
 बनाम.....

Reader

श्रीमान् उपखण्ड  
 सेव्य

गली पुत्री अम्ब  
 शान्ति पुत्री  
 बाली पुत्री  
 कल्या  
 कौ

तारीख हुक्म

अन्तर्गत धारा- हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज

10/1/25  
 पत्रावली पत्र हुक्म P.O. साक्ष्य अन्य गामीण सेवार्थिपर  
 कार्य में वास्त है। पत्रावली आईन्दा  
 दिनांक 21/11/25 को पेश हो।

21/11/2025  
 कौले द्वारा आज कार्य स्थगन रखा गया है।  
 पत्रावली वास्ते पूर्व नियत कार्यवाही हेतु  
 आईन्दा दिनांक 28/11/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 मिनाय (अजमेर)  
 28/11/25

28/11/25  
 पत्रावली पेश की। वहील वाही उप। वहील वाही द्वारा डाबिनापत्र अम्ब  
 वास्ते वाह-पत्र/डाबिना पत्र की विज्ञो कराने वाबल पेशाया  
 गया। वहील वाही को सुना गया। वहील वाही द्वारा पत्रावली में निवेदन  
 डियागमाडि वाहीगण पत्रावली पर आगे कोई कामवाही नहीवास्ते  
 हो थल: वाहपत्र पर कामवाही रही स्तर पर समाप्त की जाये।  
 वहील वाहीद्वारा उक्त वाबल पत्रावली धारेशिवा पर टिप्पणी  
 की है। वहील वाही / वाहीगण पत्रावली पर आगे कोई कामवाही  
 नहीवास्ते है। पत्रावली में कोई उल्लिहावा पेश नही डिया गया  
 हो थल: पत्रावली में आगे कोई कामवाही अपेक्षित नहीरू जाती  
 हो। गैरी लिपि में पत्रावली / वाही गण का डाबिनापत्र बं  
 मॉखिड निवेदन तथा पत्रावली धारेशिवा पर धर्ज लिखित  
 टिप्पणी लिखार की जाकर, वाहपत्र पर कामवाही वाली स्तर  
 पर समाप्त की जाती है। पत्रावली-कुंतल श्रुमार हो। (नम्बर 10  
 अम होडर वास्ते दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 मिनाय (अजमेर)